ऐरा/20010/आरएफई/अध्ययन/स्टडी/प्रमुख हवाईअड्डे/ 2019-20

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

उड़ान भवन, तृतीय तल,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 30 मई, 2025

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2025-26</u>

विषय: टैरिफ निर्धारित करने और कार्यनीतिक एवं आर्थिक अध्ययन करने में ऐरा की सहायता करने के लिए परामर्शदात्री एजेंसियों का पैनल बनाना - पैनल की वैधता बढ़ाने के संबंध में।

प्राधिकरण ने ईओआई संख्या 04/2019-20 द्वारा, दो श्रेणियों, अर्थात् श्रेणी "ए" (प्रतिवर्ष 10 मिलियन से अधिक यात्री आवागमन वाले प्रमुख हवाईअड्डे) और श्रेणी 'बी' (प्रतिवर्ष 10 मिलियन से कम यात्री आवागमन वाले प्रमुख हवाईअड्डे) के तहत, वैमानिक टैरिफ निर्धारित और कार्यनीतिक आर्थिक अध्ययन करने में ऐरा की सहायता करने के लिए एजेंसियों का पैनल बनाया है।

1.2 इस संबंध में दिनांक 01.06.2020 की सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2021-21 के दिनांक 29.06.2020 के और दिनांक 03.01.2024 के शुद्धिपत्र **II** जारी किए गए हैं, जिनमें विषयगत कार्य के लिए श्रेणीवार पैनलबद्ध एजेंसियों का उल्लेख किया गया है (प्रतियां संलग्न)।

2 टैरिफ निर्धारण और कार्यनीतिक एवं आर्थिक अध्ययन करने में ऐरा की सहायता करने के लिए परामर्शदात्री एजेंसियों का पैनल 31.05.2025 तक वैध है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, उक्त पैनल की वैधता 31.05.2025 से आगे छ: (6) माह की अवधि अर्थात 30.11.2025 तक बढ़ाई गई है।

3 पैनल की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

संलग्न : ऊपर बताए अनुसार